कार्यालयः–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल. म0प्र0

–::: परिपत्र :::–

क्रमांकः–Q-21 **भोपाल, दिनांकः–04-04-2020**

विषय :– COVID-19 राष्ट्रव्यापी लॉक–डाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य व्यवस्था बाबत्।

संदर्भ :– I-कार्यालय का परिपत्र क्रं0–Q-5 भोपाल, दि0–25-03-2020.
II-कार्यालय का परिपत्र क्रं0–Q-8 भोपाल, दि0–27-03-2020.
III-कार्यालय का परिपत्र क्रं0–Q-18 भोपाल, दि0–01-04-2020.

––00––

COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये यह उचित है, कि अर्जेंट ड्यूटी के समय नामित न्यायालयों में कम–से–कम व्यक्तियों की उपस्थिति हो। अतः विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों की निरंतरता में निम्नानुसार निर्देश और दिये जाते हैं, कि ::–

1- अर्जेंट ड्यूटी के समय न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के समक्ष अभियोजन की ओर से वही लोक अभियोजक–अपर लोक अभियोजक–विशेष लोक अभियोजक/अभियोजन अधिकारी उपस्थित होंगे, जिन्हें न्यायालयों के सामान्य कामकाज़ के दौरान कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी, भोपाल एवं उप–संचालक लोक अभियोजन द्वारा कार्य विभाजन आदेश के द्वारा अधिकृत/नामित किया गया है।

यदि किसी अपर सत्र न्यायालय में कोई अपर लोक अभियोजक अधिकृत/नामित नहीं है या अधिकृत/नामित उपस्थित नहीं होता है, तो लोक अभियोजक/कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक/अभियोजन अधिकारी अभियोजन की ओर से उपस्थित होंगे।

मजिस्ट्रेट न्यायालय में कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार अभियोजन अधिकारी के उपस्थित न होने पर जिला अभियोजन अधिकारी उपस्थित होंगे।

अर्जेंट ड्यूटी में उपस्थित न्यायिक अधिकारी यह सुनिश्चित् करेंगे, कि उक्तानुसार अधिकृत लोक अभियोजक–अपर लोक अभियोजक–विशेष लोक अभियोजक/अभियोजन अधिकारी ही उपस्थित हों।

लोक अभियोजक/उप–संचालक लोक अभियोजन/जिला अभियोजन अधिकारी यह सुनिश्चित् करेंगे, कि कार्य विभाजन आदेश में उल्लेखित अभियोजक/अभियोजन अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई अपर लोक अभियोजक/अभियोजन अधिकारी न्यायालय भवन में प्रवेश न करें।

2- अर्जेंट ड्यूटी के समय न्यायिक अधिकारी यह सुनिश्चित् करेंगे, कि संबंधित लिपिक के पास एक से अधिक व्यक्ति खड़ा न हो और उनके बीच कम–से–कम डेढ़ से दो मीटर की दूरी है। सभी लिपिक भी उक्तानुसार ध्यान रखेंगे।

न्यायिक अधिकारी यह भी सुनिश्चित् करेंगे, कि जो भी अधिवक्ता/पक्षकार न्यायालय कक्ष में प्रवेश करें, उन्होंने मास्क धारण कर रखा हो तथा सभी कर्मचारी भी मास्क धारण किये हुये हों।

Scanned with CamScanner

3- न्यायिक अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई को प्राथमिकता देनी चाहिये।

4- प्रशासनिक अधिकारी/उप–प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाज़िर/नायब नाज़िर सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से यह सुनिश्चित् करेंगे, कि अनाधिकृत व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश न करें।

5- अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश करने पर उनके विरूद्ध भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों/आदेशों के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

Sd/-
राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल, म0प्र0

क्रमांकः–**Q-21** भोपाल, दिनांकः–**04-04-2020**

प्रतिलिपिः–

1– रजिस्ट्रार जनरल म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

2– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, भोपाल/तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील–बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

3– समस्त न्यायिक अधिकारीगण : भोपाल/बैरसिया की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

4– प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित्।

5– कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,

6– पुलिस उपमहानिरीक्षक, भोपाल/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भोपाल की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि समस्त थाना–प्रभारियों को निर्देशित् करें, कि निर्धारित समय में ही केस–डायरी व रिमाण्ड आदि प्रस्तुत किये जावें।

7– प्रभारी अधिकारी, नज़ारत अनुविभाग जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल एवं सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित्, कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने जावें।

8– अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा–भोपाल की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत् कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित्।

9– संचालक, जन–सम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ, कि सभी दैनिक समाचार–पत्रों में उक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने का कृष्ट करें।

10– प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् की जावे एवं सभी कर्मचारियों को सूचित करना सुनिश्चित् करें तथा यह भी सुनिश्चित् करें, कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर एक उप–प्रशासनिक अधिकारी तथा जिला नाजिर या नायब नाजिर उपस्थित रहें।

11– जिला नाज़िर/नायब नाज़िर सिविल न्यायालय बैरसिया, जिला–भोपाल की ओर इस निर्देश के साथ, कि एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

4/4/2020
राजेन्द्र कुमार (वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल, म0प्र0

Scanned with CamScanner